हि.प्र. राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिनांक 25.06.2025 को मेसर्स, अंबा शक्ति इस्पात लिमिटेड, के द्वारा "Billets/Ingots की 2,94,000 टन प्रति वर्ष (TPA) और रोलिंग उत्पादों (Bars, TMT एवं अन्य Rolled Section) की 2,80,770 टन प्रति वर्ष (TPA) की क्षमता के साथ Melting एवं Rolling सुविधा के विस्तार और वृद्धि हेतु स्थान: प्लॉट नंबर 6 एवं 6 ए, इंडस्ट्रियल एरिया फेज-II, काला अंब, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश, जिसके अंतर्गत वर्तमान में स्थापित 12 टन प्रति घंटा (TPH) क्षमता वाले इंडक्शन फर्नेस (2x6 TPH) को हटाकर नई क्षमता वाले 60 TPH (2x30 TPH) इंडक्शन फर्नेस स्थापित की जाएगी । उपरोक्त विषय पर आयोजित जन सुनवाई का विवरण निम्न प्रकार से है ::

हि.प्र. राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिनांक 25.06.2025 को मेसर्स, अंबा शक्ति इस्पात लिमिटेड, के द्वारा "Billets/Ingots की 2,94,000 टन प्रति वर्ष (TPA) और रोलिंग उत्पादों (Bars, TMT एवं अन्य Rolled Section) की 2,80,770 टन प्रति वर्ष (TPA) की क्षमता के साथ Melting एवं Rolling सुविधा के विस्तार और वृद्धि हेतु स्थान: प्लॉट नंबर 6 एवं 6 ए, इंडस्ट्रियल एरिया फेज-II, काला अंब, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश, जिसके अंतर्गत वर्तमान में स्थापित 12 टन प्रति घंटा (TPH) क्षमता वाले इंडक्शन फर्नेस (2x6 TPH) को हटाकर नई क्षमता वाले 60 TPH (2x30 TPH) इंडक्शन फर्नेस स्थापित की जाएगी । इस सन्दर्भ में जन सुनवाई का आयोजन कॉमन फैसिलिटी सेण्टर के सामने खुला क्षेत्र, काला अंब, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश में संपन्न किया गया । जन सुनवाई का आयोजन भारत सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना संख्या: एस.ओ. 1533 (अ) दिनांक 14-09-2006 के नियमानुसार माननीय अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी सिरमौर एवं अध्यक्ष पर्यावरण जन सुनवाई की अध्यक्षता मे किया गया । इस जन सुनवाई में उपस्थित व्यक्तियों की सूचि **अनुलग्नक- I** में उपलब्ध है।

सर्वप्रथम हि.प्र. राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पांवटा साहिब के क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा जन सुनवाई की पृष्ठभूमि तथा इसके आयोजन के उद्देशय से उपस्थित जन समूह को अवगत कराया गया तथा पर्यावरण जन सुनवाई के अध्यक्ष की अनुमति से पर्यावरण जन सुनवाई की प्रक्रिया आरंभ की गई ।

इसके बाद, क्षेत्रीय अधिकारी, हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पांवटा साहिब ने मैसर्स अंबा शक्ति इस्पात लिमिटेड के कंसलटेंट डॉ सिमरनजीत कौर, मैसर्स शिवालिक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट लिमिटेड से आग्रह किया की इस परयोजना के बारे में प्रेजेंटेशन के माध्यम से उपस्थित ग्रामवासियों / जनसमूह को अवगत कराएं । सलाहकार द्वारा जनता को प्रस्तावित परियोजना की प्रस्तुति के विभिन्न पहलुओं का विस्तृत विवरण दिए जाने के बाद, क्षेत्रीय अधिकारी, हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पांवटा साहिब ने पर्यावरण जन सुनवाई में उपस्थित लोगों से बिना किसी भय और किसी भी पक्ष के

दबाव के, प्रस्तावित परियोजना पर अपने विचार, टिप्पणियां, सुझाव और आपत्तियाँ व्यक्त करने के लिए कहा।

जन सुनवाई की वीडियोग्राफी भी की गई। तदनुसार, पर्यावरण जन सुनवाई की कार्यवाही रिकॉर्ड की गई और उसे नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है:-

क्रमांक	नाम और पता	उठाया गया मुद्दा/ उत्तर/टिप्पणी	उठाए गए मुद्दों पर उत्तर/टिप्पणी
1.	श्री अशोक कुमार जोहरों, कालाआम्ब	पास में स्तिथ जय भारत रोलिंग मिल (J.B Rolling Mill) को भी इसी तरह अनापत्ति दी गयी थी। लेकिन उस प्लांट से खुले में धुआं उड़ता है। कोई भी धुआं चिमनी से नहीं निकलता है। जिससे की बहुत प्रदुषण हो रहा है ।	**श्री अतुल परमार, क्षेत्रीय अधिकारी, सिरमौर -** जे बी रोलिंग द्वारा 3.5 करोड़ रूपए का पोलुशन कण्ट्रोल डिवाइस लगा दिया है। समय समय पर इसका निरिक्षण भी किया जाता है। भारत सरकार द्वारा एमिशन नॉर्म्स को 10 माइक्रोग्राम/ नार्मल क्यूबिक मीटर तय किया गया है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के बोर्ड मेंबर्स के द्वारा भी सरप्राइज विजिट की गयी। काला आम्ब क्षेत्र में पार्टिकुलेट मैटर का स्तर अधिक है। यूनिट के द्वारा लगाए गए प्रदुषण नियंत्रण उपकरण से निकलने वाली डस्ट से ज़िंक की रिकवरी की जा रही है। जिसके लिए एक अलग से ज़िंक रिकवरी प्लांट लगाया गया है। धुआं चिमनी से ही प्रदुषण नियंत्रण उपकरण से गुजरने के बाद निकाला जा रहा है। फिर भी यदि

			कोई और शिकायत है तो उसपे संज्ञान लिया जायेगा। और यदि कोई और सुधारात्मक कार्य करने की जरुरत होगी तो वो करवाए जायेंगे।
2.	श्री राम शरण , सरपंच , ग्राम पंचायत झीड़ीवाला, काला अम्ब	प्रदुषण बहुत ज्यादा है। हमारे गांव में लोगो को तो दिक्कत है ही और साथ में पेड़ पौधे भी ख़राब हो गए हैं। फसलों की पैदावार भी बहुत कम हो गयी है । जो फसल पैदा हो रही है वो भी खाने लायक नहीं है। जय भारत रोलिंग मिल से बहुत ज्यादा धुआं निकलता है जिसकी वीडियोस भी बनाई गयी हैं। पहले से ही प्रदुषण की समस्या बहुत ज्यादा है। इसलिए हम निवासी ग्राम पंचायत झीड़ीवाला इस प्रोजेक्ट का पुरजोर विरोध करते हैं।	
3.	मोहमद्द इस्लाम , काला अम्ब पंचायत	ध्वनि प्रदुषण की समस्या की शिकायत दर्ज कराइ गयी थी लेकिन उसमे अभी तक कोई कारवाही नहीं की गई है। शिकायत के रिमाइंडर भी दिए गए हैं। एक नागल सुकेती में स्तिथ प्लांट की ध्वनि प्रदुषण की शिकायत भी दर्ज कराई गयी थी। निक्सी लैब इंडस्ट्री के पास रहने वाले लोगों ने वीडियोस भी शेयर किये हैं। लेकिन विभाग की तरफ से कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।	
4.	श्री सोमनाथ , जोहड़ों , काला अम्ब पंचायत से	(1) मैं यूनिट के परामर्शदाता के द्वारा प्रस्तुत की गयी रिपोर्ट से सहमत नहीं हूँ। परामर्शदाता के द्वारा वर्ष 2022 के आंकड़े प्रस्तुत किये गए हैं। जबकि अभी	

		वर्ष 2025 चल रहा है। क्या गांव जोहड़ों के हवा के सैंपल लिए गए? क्या नदिओं के सैंपल लिए गए ? क्या किसी गांव के प्रतिनिधि के हस्ताक्षर लिए गए ? कहाँ पर हवा प्रदुषण को मापने के मीटर्स लगाए गए ? बनाई गयी रिपोर्ट से हम सहमत नहीं हैं। दुबारा से जो पैरामीटर्स हैं उनको वर्ष 2025 के हिसाब से चैक कियें जाये। (2) काला अम्ब में सीवेरज की सुविधा दी गयी थी जो कीं बंद पड़ी हुई है। सड़क पर मैनहोल बंद पड़े हैं। जिससे की दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। (3) काला अम्ब क्षेत्र में 2 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगने हैं, एक काला अम्ब में और एक त्रिलोकपुर में। परंतु उनकी हालत बहुत ख़राब है। अभी तक सीवरेज की कनेक्टिविटी नहीं की गयी है। (4) यहां पर पहले ही काफी फर्नेस के प्लांट्स हैं और इस प्लांट का और विस्तारीकरण हो रहा है। लेकिन मै अम्बा शक्ति इस्पात के मैनेजिंग डायरेक्टर गोयल जी से ये प्रार्थना करना चाहूंगा की वे सामाजिक कार्य जैसे की साफ सफाई के कार्य के लिए भी अपना योगदान दें।	
5.	श्री मामराज चौधरी , खैरी गांव से	जय भारत रोलिंग मील प्लांट ने CSR के अन्तर्गत कोई भी कार्य नहीं किये जा रहे हैं। प्रदूषण से पशु मर रहे हैं। खैरी के ग्राम वासिओ को बहुत समस्या हो रही है। चिमनी से से कोई धुआं नहीं निकलता है।	

		जो ज़िंक रिकवरी प्लांट लगाया गया है उससे बहुत ज्यादा प्रदुषण है। प्लांट से बहुत अधिक ध्वनि प्रदुषण है। अति औद्योगीकरण हमारे लिए हानिकारक हो गया है। खैरी एरिया में पॉलिथीन की समस्या है व नाले ब्लॉक हो गए हैं। हम सभी ग्रामवासी एवं स्थानीय इस प्लांट अम्बा शक्ति इस्पात के विस्तार का विरोध करते हैं।	
6.	दिनेश ठाकुर , उप प्रधान त्रिलोकपुर	इंडस्ट्रीज के कारण यहां पर प्रदूषण बहुत अधिक फ़ैल रहा है। जैसा की परामर्शदाता ने बताया की 46 KLD प्रतिदिन पानी इस्तेमाल किया जायेगा , यह पानी कहाँ से लिया जायेगा ? पहले ही ग्रामवासिओं को पिने के पानी की बहुत समस्या है। पानी का जलस्तर बहुत निचे चला गया है जिसके कारण पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा है। क्या इंडस्ट्री के लिए अलग से पानी आएगा ? प्रदुषण यहाँ बहुत ज्यादा है। प्लांट की क्षमता बढ़ने से पेड़ पौधों, जीव जंतुओं व फसलों को नुक्सान है। इसलिए हम सभी गांव वाले चाहते हैं की इस प्लांट की क्षमता न बड़े।	
7.	परामर्शदाता, परियोजना प्रस्तावक:-	उठाए गए अधिकांश प्रश्न मौजूदा मेसर्स जे. बी. रोलिंग मिल्स से संबंधित हैं और इस परियोजना से संबंधित नहीं हैं। इस क्षेत्र का मौजूदा प्रदुषण स्तर ज्यादा है। जो हमारे द्वारा पैरामीटर्स मापे गए हैं उनका औसत परिणाम अनुमत सीमा से कम आ रहे हैं। जो प्रस्तावित विस्तार है उसके लिए यूनिट के द्वारा वायु प्रदुषण को रोकने वाले उपकरणो को अपग्रेड किया	

		जायेगा व बैग फिल्टर्स लगाए जायेंगे। नयी फर्नेस लगेंगी व उनमे ऑनलाइन एमिशन मॉनिटरिंग उपकरण लगाया जायेगा। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार जो भी आस पास के प्रोजेक्ट्स हैं , निर्धारित सीमा में आधारभूत आंकड़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने यह रिपोर्ट सितम्बर , 2024 में जमा की थी और उस समय यह डाटा 3 वर्ष की अवधि के अंदर का डाटा था जो की मान्य डाटा था। अगर मंत्रालय को किसी भी चरण में यह लगता है की दुबारा मॉनिटरिंग करवाने की आवश्यकता है तो वो अतरिक्त मॉनिटरिंग की जाएगी। अगर मॉनिटरिंग का डाटा देखना चाहते हैं तो वह रिपोर्ट्स विभिन्न जगहों पर उपलब्ध है वहां से देखा जा सकता है। जो पानी से सम्बंधित सवाल है उसमे हम यह कहना चाहेंगे की यह एक वायु प्रदूषणकारी प्रकृति की यूनिट है न की जल प्रदूषणकारी । वायु प्रदुषण को रोकने के लिए जरुरी उपकरण लगाए जायेंगे। मंत्रालय के अगर कोई अतिरिक्त दिशा निर्देश होंगे उनकी भी अनुपालना की जाएगी।	
8.	श्री सोमनाथ , जोहड़ों , काला अम्ब पंचायत से	गांव में जो आबादी वाला क्षेत्र है वहां पर कहाँ कहाँ पर हवा के सैंपल लिए गए ? क्या किसी पंचायत के प्रतिनिधि , पंचायत प्रधान , उप प्रधान या वार्ड मेंबर को साथ ले कर ये सैंपलिंग की गयी ? 2022 के सैंपलिंग डाटा को हटा कर दुबारा से 2025 में सैंपलिंग की जाये व आबादी वाले क्षेत्र से लोगों को साथ में लिया जाये ।	
9.	परामर्शदाता, परियोजना प्रस्तावक:-	(1) पानी का प्रस्तावित स्त्रोत बोरवैल है । अगर बोरवैल की परमिशन नहीं मिलती है तो	

		ज़ल शक्ति विभाग से पानी का कनेक्शन लिया जायेगा। यह कोई जल सघन यूनिट नहीं है। इसमें पानी की खपत सिर्फ ठंडा करने के उद्देश्य व घरेलू उपयोग के लिए होगी। CGWA के दिशानिर्देशों के अनुसार यदि किसी क्षेत्र में पानी की कमी भी है तो वायु प्रदूषण उद्योग का उसके साथ कोई टकराव नहीं होगा। (2) जो भी इस यूनिट का अपशिष्ट होगा उसको आतंरिक तौर पर प्रबंधित किया जायेगा। APCD डस्ट ही मुख्य तौर पर अपशिष्ट पदार्थ निकलेगा। जिसका आंतरिक रूप से प्रबंधन किया जायेगा क्यूंकि आज के समय में APCD डस्ट उद्योग के लिए एक कमाई का साधन है न की एक अपशिष्ट है।	
10.	श्री अतुल परमार, क्षेत्रीय अधिकारी, सिरमौर -	(1) सबसे पहले मै यह कहना चाहूंगा की लौह एवं इस्पात संयंत्र रेड केटेगरी (लाल श्रेणी) में नहीं ऑरेंज केटेगरी (नारंगी श्रेणी) में आते हैं। (2) जो ध्वनि प्रदुषण और अन्य मुद्दे से सम्बंधित शिकायतें है उनको अलग से देखा जायेगा क्यूंकि वे शिकायतें आज की जन सुनवाई से सम्बंधित नहीं हैं। (3) जैसा की यहां पर एक महोदय द्वारा प्रार्थना की गयी है , मै यह कहना चाहूंगा की जो यहां पर सीवेरज व वायु प्रदुषण की समस्या है तो CSR गतिविधियों में आप अगर कुछ जल शक्ति विभाग को ही कुछ अनुदान अगर दे सकते हैं तो कृपया इसके बारे में बतायें।	
11.	परियोजना प्रस्तावक:-	अभी तक CSR के अंतर्गत लोगों का कोई मुद्दा नहीं आया है। आस पास के जो उद्योग लगे हैं वो सब मिल कर CSR में गतिविधियां कर सकते हैं। और जो	

		प्रदुषण से सम्बंधित मुद्दा उठाया गया है उसके लिए जो भी प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड की गाइडलाइन्स होंगी उनको फॉलो किया जायेगा। प्रदुषण को रोकने के लिए उचित प्रदुषण नियंत्रण उपकरण लगाए जायेंगे। उसके लिए अलग से बजट प्रस्तावित किया गया है। उसके बाद भी अगर कोई अतिरिक्त दिशा निर्देश CPCB के तरफ से आएंगे तो हम उन उपकरणों को लगाने के लिए तैयार हैं ।	
12.	श्री सोमनाथ , जोहड़ों , काला अम्ब पंचायत से	अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी से अनुरोध है की जो सीवेरज के कनेक्शन की फीस 2500 रूपये रखी गयी है उसको कम करके 100 -200 रुपये किया जाये। क्योंकि क्षेत्र में गरीब लोग भी रहते हैं जो यह फीस देने में असमर्थ हैं। TCP से नक्शा पास करने में काफी कठिनाइयां आती हैं। इसको कृपया सरल किया जाये। सड़क किनारे काफी कूड़ा कचरा फैला रहता है इसको उठाने के लिए SADA द्वारा कोई उचित प्रावधान किया जाये।	
13.	श्री तरसेम सिंह , काला अम्ब से।	लोगों को रोजगार मिलेगा। इसलिए प्रस्तावित परियोजना लगनी चाहिए, इसमें सभी लोगों का फायदा है।	
14.	श्री राय सिंह , त्रिलोकपुर पंचायत से	प्रदुषण की समस्या तो है। परन्तु हमें साथ में रोजगार भी मिल रहा है। लोगों के मकान और दुकाने किराये पर दी जा रही हैं जिससे की आय के साधन बड़े हैं। आने वाले समय में भी परियोजना लगने से रोजगार के साधन बढ़ेंगे । इसलिए प्रस्वाति परियोजना की क्षमता वृद्धि होनी चाहिये।	
15.	श्री पहल सिंह , ग्राम पंचायत त्रिलोकपुर से।	रोजगार के साधन तो हैं लेकिन प्रदुषण की समस्या बहुत अधिक है जिससे की लोगों को बीमारियां लग रही हैं । रोजगार बाद में है पहले तो हमारा जीवन है। इसलिए मै	

		इस परियोजना का विरोध करता हूँ।	
16.	श्री कर्म सिंह , ब्लॉक समिति सदस्य ,ग्राम पंचायत त्रिलोकपुर से।	मेरे से पहले जितने भी वक्ता यहां आये हैं उनकी बात सही है । मै उनकी बातो से सहमत हूँ । वायु प्रदुषण की समस्या तो यहाँ पर है। मैं महोदय से प्रार्थना करना चाहूंगा की जितने भी यहां पर लोगों के विचार आये हैं उनके हितों का ख्याल रखा जाये और उसके बाद ही कोई निर्णय लिया जाये। प्रदुषण की समस्या बहुत ज्यादा है। रोजगार के साधन तो हैं लेकिन जिंदगी भी बहुत जरुरी है। मैं अम्बा शक्ति इस्पात के मालिक से ये कहना चाहूंगा की वे लोगों के वेलफेयर के कामों में भी सहयोग दें।	

माननीय अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी महोदय द्वारा बताया गया की जो भी विचार , आपत्तियां या टिप्पणियां जन सुनवाई में रखी गयी हैं उन्हें यथास्तिथि आगे मंत्रालय में आगामी कार्यवाही हेतू भेजा जायेगा। महोदय के द्वारा कहा गया की इस परियोजना के लगने या न लगने का निर्णय उनके हाथ मैं नहीं है। बाकि जो भी कुछ व्यावहारिक मुद्दे इस उद्योग से हट कर थे उनको भी लिख लिया गया है। जैसे की सीवरेज के कनेक्शन के फीस की बात की गई। इस विषय में सम्बंधित विभाग से बात की जाएगी। जो सफाई वाला विषय है वह स्थानीय पंचायत या SADA के पास होता है। जैसे की SADA के द्वारा टैक्स भी प्रस्तावित किया गया है तो इससे सफाई से सम्बंधित सुविधाएं भी बेहतर होंगी।

सार्वजनिक सुनवाई की कार्यवाही के दौरान किसी भी सुझाव, विचार, टिप्पणी या आपत्ति की लिखित समीक्षा नहीं की गई।

पर्यावरण जन सुनवाई कार्यक्रम में 55 लोग उपस्थित रहे जिनमे से की 10 लोगों ने अपने विचार व सुझाव रखे। 6 लोगों ने प्रस्तावित उद्योग के विरोध में अपने विचार रखे , जबकि 3 लोगों ने परियोजना विस्तार के पक्ष में सहमति व्यक्त की। प्रस्तावित उद्योग के विस्तार से सम्बंधित प्रश्नो का परियोजना प्रस्तावक द्वारा विस्तारपूर्वक जवाब दिया गया।

जन सुनवाई के दिन प्रस्तावित उद्योग के विस्तार से सम्बंधित 8 आपत्तियां लिखित रूप में दी गयी जिसकी प्रतिलिपि **अनुलग्नक- II** में संलग्न की गई है।

अंत में, हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पांवटा साहिब के क्षेत्रीय अधिकारी इंजीनियर श्री अतुल परमार ने इस पर्यावरणीय जन सुनवाई में भाग लेने के लिए अध्यक्ष महोदय व अन्य सभी प्रतिभागियों का धन्यवाद किया।

श्री लायक राम वर्मा
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश